न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –35/2017 जिला सीकर

1. सांवलराम पुत्र राम कुवार
2. मूलचन्द पुत्र रामकुवार
3. जडावली देवी बेवा रामकुवार
4. घीसा पुत्र रूडा
5. धरमा पुत्र रूडा
6. सुरेश पुत्र अमरचन्द
7. रामकिशन पुत्र अमरचन्द

जाहित अहीर, निवासीगण ग्रम उदयपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खण्डेला जिला सीकर ।
2. उप खण्ड अधिकारी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

मुख्य रेस्पोंडेन्ट

3. संजय
4. सुभाष

पुत्रान अमरचन्द, जाति अहीर, निवासीगण ग्रम उदयपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर , राजस्थान ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 24.4.2017

उपस्थितः–

1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिंनाक– 19.12.2017

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.4.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

तहसीलदार खण्डेला द्वारा पत्र कमांकः भू.अ./2016/1385 दिनांक 19.4.2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को ग्रम उदयपुरा के खसरा नम्बरान में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिषंसा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा आदेश कमांकः राजस्व/2017/प.म.–गोविन्दपुरा/02 दिनांक 24.4.2017 से तहसीलदार खण्डेला को आदेश जारी किया गया कि मुताबिक फर्द मौका रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है । अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व

नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । उप खण्ड अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 25.7.2017 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में जिलाधीश व राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला दिया गया है उनमें कहीं पर भी नये सिरे से रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव से निजी खातेदारी की भूमि में से काश्तकारों को बिना सुने गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है, जो सरासर अवैधानिक है । उनका कहना था कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में रास्ता दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि 131 के प्रावधान सर्वे रिकार्ड, फील्ड बुक, मैप आदि को मेन्टेन करने का है और 132 एनुवल रजिस्टर मेन्टेन करने का अधिकार रेवन्यु ऑफिसर को दे रखा है और धारा 131 में नक्शे में केवल गॉव की सीमा और काश्तकारों के खाते की सीमा को ही सही रूप से रखे जाने का प्रावधान है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश में लैण्ड रिकार्ड रूल्स 58,59, 60 का जो हवाला दिया है वह भी गलत है । नियम 58 में खरीफ, रबी की फसल का हवाला दिया जायेगा और नक्शे में केवल बाउण्ड्री नक्शे में परिवर्तित हुई है तो उसका पैंसिली नोट बनाकर पटवारी गिरदावर के पास सबमिट करेगा और रेवेन्यु आफीसर उसकी जॉच कर आदेश देगा । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो काश्तकारों को कोई नोटिस दिया गया और न ही उनके नक्शे में परिवर्तित करने के संबंध में कोई जानकारी दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये पारित किया है जो सरासर अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । किसी भी काश्तकार को यदि उसके खाते में तरमीम की जाती है तो उसे सुनवाई का अवसर न्याय हित में दिया जाना आवश्यक है । अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.7.17 को तहसील में ऋण के संबंध में रिकार्ड की जॉच व नकले लेने गया तो पता चला ओर नकल लेकर अपील प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उन्हें रिमाण्ड किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा

राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलाधीन आदेश गैरमुमकीन रास्ता कायम करने के आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द

मौका रिपोर्ट में प्रचलित रास्ता 30–40 वर्षों से चालू होना तथा रास्ते से आमजन का आवागमन होना एवं सार्वजनिक आवागमन के रूप में चालू होना अंकित किया है तथा रास्ते को वर्तमान में चल रहे रास्तों के कटान बाबत राजस्व अभियान में नक्शे में काटा जाना उचित होगा, का उल्लेख सरपंच ग्रम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा किया गया है । तहसीलदार खण्डेला ने प्रस्ताव ग्रम उदयपुरा प.म. गोविन्दपुरा, तहसील खण्डेला के खसरा नम्बर में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिषंसा की है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने तहसीलदार खण्डेला से प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 24.4.2017 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रचलित रास्ता 30–40 वर्षों से चालू होना तथा सार्वजनिक आवागमन के रूप में प्रयोग में आने के कारण सरपंच ग्रम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा नक्शे में रास्ते को काटे जाने की सिफारिश किया जाना एवं तहसीलदार खण्डेंला द्वारा रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिषंसा किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2017 द्वारा नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये हैं, जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर